

2026:AHC-LKO:19779

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438 भा०दं०प्र०सं०

संख्या-535 वर्ष 2022

संतोष कुमार तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के ज़रिए एवं एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सुधीर पांडे, राजेंद्र कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 23

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

द्वितीय बार प्रकरण को सुनवाई हेतु पुकार तलब किया गया। वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पर बल देने के लिए आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य के लिए मौजूद हैं।

वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से परिवाद संख्या-71 वर्ष 2007, मुकदमा अपराध संख्या-14 वर्ष 1998, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120 बी भा०दं०सं० और धारा 7/13 (घ) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना चिल्ला, जनपद बांदा में अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने 14.11.2022 के आदेश के ज़रिए याचिकाकर्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए यह आदेश पारित किया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र गुप्ता को सुना, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यह दूसरी जमानत अर्जी है। पहली जमानत अर्जी वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई थी।

वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से के परिवाद संख्या-71 वर्ष 2007, मुकदमा अपराध संख्या-14 वर्ष 1998, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120 बी भा०दं०सं० और धारा 7/13 (घ) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना चिल्ला, जनपद बांदा में अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अभियोजन कथानक के अनुसार, वर्ष 1994-95 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना और विशेष घटक योजना के तहत विभिन्न किसानों को विभिन्न ऋण स्वीकृत किए गए थे। उक्त ऋण से संबंधित विभिन्न दस्तावेज संलग्न किए गए थे। आवेदक को जयदीप ग्रामोद्योग संस्थान, पैलानी, बांदा का मालिक बताया गया है जो ट्रेवल्स एजेंसी संचालक के रूप में काम करता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने किसानों को किसी भी ऋण से संबंधित कोई फर्जी रसीद नहीं दी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्राथमिकी 09.03.1989 को दर्ज की गई थी और आरोप पत्र 24.09.2007 को दायर किया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि जिन लोक सेवकों को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी व्यक्तियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, उन्हें भा०दं०प्र०सं० की धारा 197 और 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि वह निजी व्यक्ति है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि उसने भा०दं०प्र०सं० की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा

दिनांक 29.04.2009 के आदेश द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी जो 10.11.2017 तक लागू

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रही। आवेदक ने धारा 482 भा०दं०प्र०सं० संख्या 3733 वर्ष 2021 के तहत एक और याचिका दायर की, जिसमें इस न्यायालय द्वारा 07.10.2021 को एक आदेश पारित किया गया, जो इस प्रकार है:

"पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर उचित विचार करने के साथ-साथ पत्रावली के अवलोकन के बाद यह प्रावधान किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता आज से दस दिनों के भीतर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उचित जमानत आवेदन दायर करता है, तो उसके बाद एक सप्ताह की अवधि के भीतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमन प्रीत सिंह (उक्त) के मामले में निर्धारित कानून के मद्देनजर शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद यदि याचिकाकर्ता दो सप्ताह की अवधि के भीतर आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसे अगले दो महीने की अवधि के भीतर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा।"

उक्त आदेश दिनांक 07.10.2021 के अनुपालन में आवेदक ने संबंधित न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया, जिसे आदेश दिनांक 30.10.2021 द्वारा खारिज कर दिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक ने जांच के दौरान सहयोग किया है और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। मुकदमे के दौरान उसके फरार होने की किसी भी तरह की संभावना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने वचन दिया कि वह जांच में सहयोग करेंगे और ऐसा न करने पर राज्य अंतरिम सुरक्षा को हटाने के लिए उचित आवेदन दायर कर सकता है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विवाद करने में असमर्थ है।

मामले पर विचार की जरूरत है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है। प्रत्युत्तर हलफनामा, यदि कोई हो, उसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

इस प्रकरण को दिनांक 08.08.2022 को अतिरिक्त वाद सूची में सूचीबद्ध करें।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम तर्कों पर उचित विचार करने पर और आवेदक के आरोपों की प्रकृति और पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए, आवेदक को अंतरिम उपाय के रूप में "सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) -2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98" के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर अग्रिम जमानत दी जा सकती है। शीर्ष अदालत के पूर्वोक्त फैसले के अनुसार आवेदक को दी जाने वाली अग्रिम जमानत के संबंध में भविष्य की आकस्मिकताओं का भी ध्यान रखा जाएगा।

गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी-आवेदक-संतोष कुमार तिवारी को उपरोक्त अपराध मामले में तुरंत 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/जांच अधिकारी/एस.एच.ओ. की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो जमानत राशि प्रस्तुत करने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएगा;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और यह मुकदमे या नियमित जमानत आवेदन पर निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगी।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निजी मुचलका और दो जमानतदार दाखिल करने के बाद अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में आरोप-पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। उन्होंने जांच में विधिवत सहयोग किया है। उसने न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। वह मुकदमे में सहयोग करने का वचन देती है और यदि उसे अग्रिम जमानत मिल जाती है, तो वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोप की प्रकृति पर विचार किए बिना और इस तथ्य पर कि आवेदक ने अदालत द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, साथ ही आवेदक द्वारा दिए गए वचन के साथ कि वह मुकदमे में सहयोग करेगी, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 14.11.2022 के आदेश के तहत दी गई अंतरिम सुरक्षा को **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)-2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98**, मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर पूर्ण बनाया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

मार्च 18, 2026

आरती-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।